मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 14115/NR-2/ / /2009 भोपाल, दिनांक 10/11/2009

प्रति,

- **कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
- **मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम – मध्यप्रदेश
(जिला – बालघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, धार, डिण्डौरी, पूर्वी निमाड़, झाबुआ, खरगोन, मण्डला, सतना, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, अनूपपुर, अशोक नगर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, हरदा, कटनी, पन्ना, राजगढ़, रीवा)

विषयः– **ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति विषयक।**

1. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जानी है। **प्रथम चरण में योजना प्रारंभ से अर्थात 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09, से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में जिस ग्राम पंचायत में रू. 10 लाख प्रतिवर्ष से अधिक का कार्य हुआ है वहां प्रथम चरण में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जावे। इसके पश्चात वर्ष 2009–10 अगले चरण में, इसी तरह वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 में से किन्ही दो वर्षो में रू.10 लाख से अधिक व्यय वाली ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाए।**
2. ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, अर्हताएं, संविदा अनुबंध शर्ते एवं नियंत्रण संबंधी निर्देश संलग्न परिशिष्ट–1 है। अनुबंध पत्र का प्रारूप परिषद द्वारा पृथक से भेजा जाएगा।
3. ग्राम रोजगार सहायक को सौंपे जा सकने वाले दायित्वों के सुझाव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

संलग्नः–
(1) नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, अर्हताएं, संविदा अनुबंध शर्ते एवं नियंत्रण संबंधी निर्देश
(2) ग्राम रोजगार सहायक के संक्षिप्त दायित्व।
(3) चैक लिस्ट।
(4) विज्ञप्ति का प्ररूप।
(5) आवेदन पत्र का प्ररूप।
(6) आवेदन पत्र की पावती का प्ररूप।
(7) नियुक्ति आदेश का प्ररूप।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 14116/NR-2/09 भोपाल, दिनांक 10/11/2009

प्रतिलिपिः–
(1) संभागायुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) आयुक्त, पंचायत की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद (समस्त) की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(4) निज सहायक, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर रिकार्ड हेतु।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

परिशिष्ट–1

1. **ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रियाः–**

1.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिले की उन ग्राम पंचायतों का चिन्हांकन किया जाएगा, जहां योजना प्रारंभ से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रू.10 लाख या उससे अधिक का व्यय किया गया हो। जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की सहायता से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाएगी।

1.2 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरांत ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।

1.3 सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन में आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

1.4 सभी प्राप्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे। ग्राम पंचायत की सामान्य सभा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर मेरिट लिस्ट बनाएगी। इस हेतु कंडिका 4.7 में दिये गये मापदण्डों के आधार पर उम्मीदवारों को अंक दिये जाएंगे और प्राप्तांकों के अवरोही क्रम में उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची में रखा जाएगा तथा उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अगले क्रम के 02 उम्मीदवारों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

1.5 ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) जो कि आगे इन नियमों में कार्यक्रम अधिकारी के नाम से उल्लेखित रहेंगा एवं इनके द्वारा नामांकित एक अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगा जो यह देखेगा कि समस्त कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न की जा रही है।

1.6 ग्राम पंचायत के द्वारा बनाई गई सूची में रखे गये उम्मीदवार की नियुक्ति की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी जनपद (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के साथ ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना, ग्राम पंचायत की सामान्य सभा का कार्यवाही विवरण एवं मुख्य

कृ.प.उ.

कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा नामांकित पर्यवेक्षक के प्रमाणीकरण की प्रतियाँ भी भेजी जाएगी ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरांत कार्यक्रम अधिकारी सम्बन्धित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। म.प्र. रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप में करार कार्यक्रम अधिकारी, जनपद एवं चयनित उम्मीदवार के मध्य संपादित होगा। चयनित उम्मीदवार के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता तो कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान में रखे गये उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेगा एवं उसके द्वारा भी नियुक्ति पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने पर कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक्षा सूची में द्वितीय स्थान पर रखे गये उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

2 **अर्हताएं**

(क) न्यूनतम अर्हताएं

(एक) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।

(दो) आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।

(ख) वांछित अर्हताएं

(एक) राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी/3–11/08/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.06.09 में उल्लेखित संस्थाओं से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा :–

(i) Diploma from all Universities recognized by UGC.

(ii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.

(iii) Diploma level examination from DOEACC.

(iv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर अथवा मेट के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव

(तीन) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित **या** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेन्सी,कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर, आर्किटेक्ट,असिस्टेंट में 6माह कोर्स

कृ.प.उ.

में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त।

3 चयन के मापदण्ड :—

स.क्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) में प्राप्तांकों का प्रतिशत के बराबर अंक	100
2.	(i) राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पूयटर संचालन का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हेतु **या** (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा रोजगारन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त	20
3.	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में संविदा पर अथवा मेट के रूप में एक वर्ष से अधिक अवधि का कार्य करने का अनुभव	15
4	(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसायं में प्रशिक्षित । (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्याबसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेंन्सी, आर्किटैक्ट असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन/सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त	15
	योग	**150**

3.2 दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जायेगा :—

3.2.1 अनुसूचित जनजाति महिला
3.2.2 अनुसूचित जनजाति पुरूष
3.2.3 अनुसूचित जाति महिला
3.2.4 अनुसूचित जाति पुरूष
3.2.4 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
3.2.5 अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष
3.2.6 सामान्य महिला
3.2.7 सामान्य पुरूष

कृ.प.उ.

उपरोक्त सभी प्रवर्ग में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण लोकसभा चुनाव, 2009 की अंतिम मतदाता सूची का माना जावेगा।

इसके बाद भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. संविदा अनुबंध शर्ते :-

4.1 नियुक्ति का करार ग्राम रोजगार सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी रोजगार गारंटी योजना के बीच मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में अनुबंध किया जाएगा।

4.2 संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को रूपये 3200/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त संविदा रकम देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य ओर वेतन भत्ते आदि देय नहीं होगे। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सशक्त समिति समय--समय पर संविदा रकम में वृद्धि कर सकेगी। **संविदा रकम का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा सीधे ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।**

4.3 चयनित ग्राम रोजगार सहायक को 01 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। उसका कार्य संतोषजनक होने व कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी, जनपद के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में 01 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।

4.4 यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रूपये 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में 31 मार्च को संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवायें स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.5 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद या संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में 01 माह की संविदा रकम का भुगतान कर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

5. **नियंत्रण** : ग्राम रोजगार सहायक प्रशासकीय तौर पर ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा, नियंत्रण संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता, नैतिक पतन के फलस्वरूप पद पर बना रहना लोकहित में वांछनीय न होने की दशा में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होंगे। ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना दिये जाने तथा

कृ.प.उ.

यदि कोई उत्तर उनके द्वारा दिया जाता है तो उस पर ग्राम पंचायत की सामान्य सभा में विचार कर कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता के कारण का उल्लेख कर प्रतिवेदन कार्यक्रम अधिकारी, जनपद को दिया जाएगा ।

5.1 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को समक्ष में सुना जायेगा । ग्राम पंचायत तथा ग्राम रोजगार सहायक द्वारा दिया गया उत्तर/प्रस्तुत पक्ष का परीक्षण उनके द्वारा किया जायेगा तदुपरान्त उनके द्वारा पारित निर्णय ग्राम रोजगार सहायक को बाध्यकारी होगा ।

5.2 नियुक्ति से संबंधी शिकायत तथा नियुक्ति से पृथक करने के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक को 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार रहेगा। अपीलीय अधिकारी जिलो कार्यक्रम समन्वयक रहेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील का निराकरण 90 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

5.3 चयन प्रक्रिया में मापदण्डों/अर्हताओं का पालन न करने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वतः कारवाई कर सकता है। उक्त प्रकरण का निराकरण अनिवार्यतः 90 दिवस में किया जाएगा।

5.4 नियुक्तियों से पृथक करने संबंधी शिकायत पर स्व प्रेरणा में पुनःनिरीक्षण का अधिकार म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद के उपाध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित किसी सदस्य का रहेगा।

5.5 ग्राम रोजगार सहायक पर जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) का **प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा । यदि** कर्तव्य की घोर उपेक्षा, कर्तव्य की अवहेलना, अनियमितता ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वांछित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को समय–सीमा में प्रस्तुत नहीं की जाती है अथवा जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी परिस्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत **ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजेंगे।**

5.6 यदि ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य का अवहेलना, अनियमितता आदि का प्रस्ताव जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) से जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्राप्त होता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक ग्राम रोजगार सहायक का उत्तर प्राप्त करने के उपरांत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित ग्राम रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्रवाई करेंगे।

5.7 जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यक समझते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की अनियमितता/लापरवाही उनके ध्यान में लाई जाती है, तो वे संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देशित कर सकेंगे कि वह 30 दिवस के भीतर उक्त ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में उपरोक्त संबंध में कार्रवाई करें।

कृ.प.उ.

7

5.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि में ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में प्रावधानित कार्रवाई नहीं की जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रोजगार सहायक के संबंध में कार्रवाई करेंगे।

5.9 मूल्यांकन पत्रकः– ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन पत्रक लिखने के लिए पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रथम प्रतिवेदक अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच द्वितीय प्रतिवेदक अधिकारी, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक समीक्षाकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगें । जनपद पंचायत कार्यालय मूल्यांकन पत्रक रखे जाने वाला कार्यालय होगा।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कृ.प.उ.

परिशिष्ट–2

ग्राम रोजगार सहायक को सौंपे जा सकने वाले दायित्वों के सुझाव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के एनेक्सर ए–4 में दिए गए हैं जो संक्षेप में निम्नानुसार है :–

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों व विहित किए गए लेखाओं का संधारण करना एवं उन्हें सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपलब्ध करना।

1.2 ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मापदंडों का पालन सुनिश्चित करना।

1.3 जॉब कार्डो के लिए पंजीयन एवं उनके वितरण तथा काम की मांग के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की तारीखशुदा पावती देने आदि कार्यों को देखना।

1.4 ग्राम पंचायत के भीतर तथा ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी के बीच सूचनाओं का निर्विध्न एवं सामयिक प्रवाह सुनिश्चित करना (जिसमें काम की मांग हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की साप्ताहिक सूचना कार्यक्रम अधिकारी को देना शामिल है)।

1.5 कार्य की मांग के आवेदन पत्र, कार्य का आवटन, मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान एवं "रोजगार गारंटी दिवस" पर की जाने वाली अन्य गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देखना।

1.6 आवश्यक ग्राम सभा की बैठकों एवं सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन सुनिश्चित करना।

1.7 कर्मकारों व ग्रामवासियों को योजना से संबंधित जानकारी या मार्गदर्शन देना।

1.8 ऐसे अन्य कर्तव्य जो राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा सौंपे जाएं।

———

[redacted]

परिशष्ट–3

चैक लिस्ट

1. योजना प्रारंभ से अर्थात 2006–07, 2007–08 तथा 2008–2009 से किन्हीं दो वित्तीय वर्ष में जिस ग्राम पंचायत में रू.10 लाख या अधिक प्रतिवर्ष का कार्य हुआ है, का आकलन एवं गणना करना।
2. नियुक्ति हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ऐसी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत की सहायता से ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाना।
3. ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना जारी करना एव पचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित करना। (विज्ञप्ति जारी होना)
4. आवेदन पत्र 15 दिवस अवधि में प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा छटनी करना।
5. सभी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत की सामान्य सभा के समक्ष रखना।
6. उक्त सामान्य सभा प्रत्येक चिन्हांकित ग्राम पंचायत हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक नियुक्त करना।
7. मेरिट लिस्ट एवं प्रतीक्षा सूची बनाना।
8. चयन सूची का अनुमोदन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्दयक से प्राप्त करना।
9. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर अनुबंध करना।

विज्ञप्ति का प्ररूप [redacted]

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

ग्राम पंचायत ———, जनपद पंचायत———, जिला—————

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (NREGS) के लिए ग्राम रोजगार सहायक (संविदा पद) पर दर्शाई गई शर्तों के आधार पर पूर्ति किए जाने हेतु योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित है :–

1. अर्हताएं :–

(क) न्यूनतम अर्हताएं

(एक) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता

(दो) आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

(ख) वांछित अर्हताएं

(एक) राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण। इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. सी/3–11/08/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.06.09 में उल्लेखित संस्थाओं से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा :–

(i) Diploma from all Universities recognized by UGC.
(ii) Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
(iii) Diploma level examination from DOEACC.
(iv) Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पद पर अथवा भेंट के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव ।

(तीन) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेन्सी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर, आर्किटेक्ट, असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्टसमेन सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त।

2 चयन के मापदण्ड :–

स.क्र.	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) में प्राप्तांकों का प्रतिशत के बराबर अंक	100
2.	(i) राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्पूयटर संचालन का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हेतु या (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा रोजगारन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री आपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त	20

कृ.प.उ.

3.	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में संविदा पर अथवा मेट के रूप में एक वर्ष से अधिक अवधि का कार्य करने का अनुभव	15
4	(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा ग्रामीण इंजीनियर योजना में 110 कार्य दिवस का मेसन/प्लम्बर व्यवसाय में प्रशिक्षित । (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) द्वारा रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना अंतर्गत एकाउन्टेन्सी, आर्किटेक्ट असिस्टेंट में 6 माह कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त (3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) से ड्राफ्ट्समेन/सर्वेयर का दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त	15
	योग	150

3 **दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम में चयन किया जायेगा :-**

- 6.9.1 अनुसूचित जनजाति महिला
- 6.9.2 अनुसूचित जनजाति पुरूष
- 6.9.3 अनुसूचित जाति महिला
- 6.9.4 अनुसूचित जाति पुरूष
- 6.9.5 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
- 6.9.6 अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष
- 6.9.7 सामान्य महिला
- 6.9.8 सामान्य पुरूष

उपरोक्त सभी प्रवर्ग में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में स्थानीय ग्राम पंचायत के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण लोकसभा चुनाव, 2009 की अंतिम मतदाता सूची का मांना जावेगा।

इसके बाद भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के रामान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

4 **संविदा अनुबंध शर्तें :-**

- 4.1 आवदेक की आयु दिनांक 1/1/2009 की स्थिति में 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- 4.2 नियुक्ति का करार ग्राम रोजगार सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी रोजगार गारंटी योजना के बीच मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा तैयार किये गये प्रारूप में अनुबंध किया जाएगा।
- 4.3 संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को रूपये 3200/- प्रतिमाह की दर से एक मुश्त संविदा रकम देय होगी। इसके अतिरिक्त अन्य ओर वेतन भत्ते आदि देय नहीं होगे।
- 4.4 मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सशक्त समिति समय-समय पर संविदा रकम में वृद्धि कर सकेगी।
- 4.5 संविदा रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत के द्वारा सीधे ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

कृ.प.उ.

4.6 चयनित ग्राम रोजगार सहायक का 01 ... कार्य संतोषजनक होने व कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी, ... के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में 01 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।

4.7 यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जायेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रूपये 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम पंचायत में 31 मार्च को संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवायें स्वयमेव समाप्त मानी जाएगी।

4.8 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद या संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा 01 माह का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में 01 माह की संविदा रकम का भुगतान कर संविदा समाप्त की जा सकेगी।

4.9 संविदा नियुक्ति की दशा में की गई नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई दावा मान्य नही किया जायेगा।

4.10 आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा तथा कम्प्यूटर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य का अनुभव मेट के रूप में अनुभव अथवा अन्य कोई विशिष्ट योग्यता रखता है तो उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करेगा।

4.11 संविदा अवधि के दौरान अन्य संस्था में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यापार करने पर प्रतिबंध होगा।

4.12 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को परिषद् द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य भी संपादित करने होंगे।

4.13 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के, बगैर सूचना के कर्तव्य से एक माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

4.14 संपूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) को अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।

4.15 किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक(कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।

<u>सामान्य निर्देशः</u>

1. विज्ञापन में दर्शायें गये आवेदन पत्र के प्रारूप में ही आवेदक अपना आवेदन सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रेषित करें। अन्य किसी भी प्रारूप में आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
2. लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम, ग्राम पंचायत का नाम एवं भर्ती का प्रकार का उल्लेख करें।
3. आवेदन पत्र पर अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र दिनांक .... को कार्यालय ग्राम पंचायत................. जनपद............ जिला.................. में शाम 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।

कृ.प.उ.

आवेदन पत्र का प्ररूप

स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट फोटो

1 पद क्रम संख्या ....

2 पद नाम ....

3 आवेदक का नाम..

4 आवेदक के पिता / पति का नाम..

5 आवेदक का वर्तमान पता..

6. आवेदक का स्थाई पता ....

7. दूरभाष कमांक ....

8. मोबाइल नं. ....

9. (अ) जन्म तिथि– (अंको में)..

(शब्दों में)..

(ब) 1 जनवरी 2007 को आयु– दिन ....माह............वर्ष.............

10. जाति ....

11. वर्ग : अनु.जाति/अनु. जनजाति/पिछड़ा वर्ग /विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक, (प्रमाण पत्र सहित)

12. शारीरिक निशक्तता हॉ/नहीं। यदि हाँ, तो दृष्टिबाधित/अस्थिबाधित/ मूकबधिर का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

13. क्या म.प्र. के स्थायी निवासी है :– हां/नहीं। यदि हां, तो गृह जिले का नाम ....

14 **शैक्षणिक योग्यता**

क्र..	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने / अनुभव का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	श्रेणी
1.	हायर सेकेण्ड्री				
2.	अन्य 1.कम्प्यूटर 2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पद पर कार्य 3. मेट के रूप में अनुभव				

क्रमशः..

(15) 15

15 कार्य अनुभव/रोजगार का विस्तृत विवरणः

क्र.	कब से	कब तक	कंपनी	विभाग	संस्था	धारित पद	कार्य का विवरण	अंतिम वेतन

16. ऐसे दो व्यक्तियों का नाम/पता/टेलीफोन नं. जो आपके रिश्तेदार नहीं हो तथा जो आपके बारे में आपके द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित कर सके। (अ)................................ ....(ब)..

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही करने के पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक को होंगे।

दिनाँक...............

स्थान............... हस्ताक्षर

संलग्नः—

(1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण—पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित । ☐

(2) जाति प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने का अनुभव प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(4) मेट के रूप में अनुभव कार्य का प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(5) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(6) लोकसभा मतदाता सूची क्रमांक................की प्रतिलिपि। ☐

क्रमशः..

18

ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली पावती का प्ररूप

श्री / श्रीमती / कु...निवासी.................................द्वारा ग्राम रोजगार सहायक संविदा पद ग्राम पंचायत.......................हेतु आवेदन पत्र आज दिनांक.............. ....को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न है:–

संलग्न:--

(1) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित । ☐

(2) जाति प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(4) मेट के रूप में अनुभव कार्य का प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(5) कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि। ☐

(6) लोकसभा मतदाता सूची क्रमांक.................की प्रतिलिपि। ☐

क्रमशः..

कार्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना
कार्यक्रम अधिकारी / जनपद पंचायत .... जिला ....

क्र./ /एनआरईजीएस/ज.प./09 दिनांक

: : आदेश : :

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद जनपद पंचायत .... जिला .... के अंतर्गत चयनित निम्न उम्मीदवार को ग्राम रोजगार सहायक के पद पर दर्शाई गई संविदा शर्तो पर उनके नाम के समक्ष में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	उम्मीदवार का नाम	विभाग	पदस्थापना का विवरण
1			ग्राम पंचायत..........................

उपरोक्त उम्मीदवार को दिनांक .... (एक सप्ताह) के पूर्व जनपद पंचायत .... जिला .... के कार्यालय में पदभार ग्रहण करना होगा।

संविदा शर्ते :–

1. ग्राम रोजगार सहायक को रूपये 3,200/-- प्रतिमाह की दर से संविदा रकम देय होगी।
2. संविदा रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत द्वारा प्रशासनिक व्यय में से देय होगा।
3. संबंधित रकम का भुगतान संबंधित जनपद पंचायत के द्वारा सीधे ग्राम रोजगार सहायक के बैंक खाते में जमा किया जावेगा।
4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
5. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नियुक्त व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों द्वारा शासित होगा।
7. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष के लिए रहेगी। कार्य संतोषजनक होने एवं कार्य की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत के द्वारा जिला कार्यक्रम के पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर एक समय में अधिकतम 1 वर्ष के लिये संविदा का नवीनीकरण किया जावेगा।
8. यह नियुक्ति संविदा पर कार्यक्रम विशेष के क्रियान्वयन के लिये की जावेगी। इस तरह कार्यक्रम क्रियान्वयन में उसकी आवश्यकता ही ग्राम रोजगार सहायक के सेवा में बने रहने का औचित्य प्रतिपादित करेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रूपये 10 लाख से कम व्यय किया गया हो तो अगले

वित्तीय वर्ष में संबंधित ग्राम पंचायत में 31 मार्च को संविदा ग्राम रोजगार सहायक की सेवाऐं स्वयमेव समाप्त जानी जावेगी।

9. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं दो फोटो प्रस्तुत करना होगें।

10. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। महिला कर्मचारियों को 90 दिवस के मातृत्व अवकाश की पात्रता रहेगी।

13. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 07 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

14. संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

15. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

16. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

17. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों / कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

18. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देश के कोई भी सूचना / जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

19. एक वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं नियोजक / नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा / भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

(18)

20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

23. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

जनपद पंचायत ....

जिला ... .

दिनांक

पृ.क्र. / / एनआरईजीएस / ज.प. / 09

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त आयुक्त, म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला .... की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .... की ओर सूचनार्थ।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत .... जिला .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

जनपद पंचायत ....

जिला ....

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 2284 / योजना / NR–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 12 / 3 / 2010

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
3. कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन के संबंध में।

संदर्भः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 14115 / एनआर–2 / 2009 दि. 10.11.09

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से ग्राम रोजगार सहायक के चयन एवं नियुक्ति के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभिन्न जिलों में 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन एवं नियुक्ति के संबंध व्याप्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन मागा गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
1.	आवेदक का स्थानीय निवासी होने के संबंध में।	ग्राम रोजगार सहायक का पद एकांगी पद है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा सिर्फ ऐसे आवेदन पर ही विचार किया जाए जो स्थानीय निवासी द्वारा प्रस्तुत किए गए हो। इस प्रकार की प्रकिया अपनाने से चयन प्रकिया अत्यन्त सुविधाजनक एवं सरल हो जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारमूलक कार्य सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाते हैं, तथा सूर्यास्त तक जारी रहतें हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम रोजगार सहायक को लगातार ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रहना आवश्यक होगा। अतः ग्राम पंचायत के स्थानीय व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जावे।यदि किसी ग्राम पंचायत में 03 से कम स्थानीय निवासियों द्वारा आवेदन दिया जाता है तो उपयुक्त अभ्यर्थियों में चयन हो सकें, इस हेतु उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी पर विचार किया जावेगा। प्रक्रिया एवं अर्हता संबंधी सभी अन्य शर्ते समान रूप से लागू होगी।
2.	भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ग्रीनकार्डधारी / विकलांग एवं महिलाओं को आयु में छूट दी जाती है, तो ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती में छूट दी जानी है या नहीं।	सामान्यतः आयु सीमा में छूट नियमित पदों की भर्ती के लिए दी जाती है। ग्राम रोजगार सहायक का पद नियमित पद न होकर संविदा का पद है एवं पूर्णतः अस्थाई है। अतः इसमें आयु में छूट दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
3.	एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मेट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, एक पंचायत में 5 मेट होने के कारण उन्हें 100 दिवस से कम रोजगार दिया गया है। इस कारण किसी भी मेट को 100 दिवस का रोजगार नहीं दिया जा सका है। अतः कितने दिवस के रोजगार दिए जाने पर अंक दिए जाएंगे। मेट के रूप में अनुभव अवधि 1 वर्ष की गणना कालावधि से की जावें अथवा कार्य दिवसों से।	एक वर्ष से आशय एक वित्तीय वर्ष से है तथा सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में कार्य किया गया हो उन्हें समान अंक दिए जाएंगे।
4.	क्या जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के बाद अनुभव प्राप्त किया हो, वे ही अंक पाने हेतु पात्र होंगे।	केवल सीआईडीसी से मेट प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी।
5.	वांछित अर्हताओं में डिप्लोमा लेवल एक्जाम DOEACC से मान्य करने हेतु लिखा गया है किन्तु स्थानीय रूप से DOEACC is Affilated/Acrilated संस्थाओं द्वारा डिप्लोमा जारी किए गए है। ये डिप्लोमा मान्य किए जावेंगे या नहीं। कम्प्यूटर योग्यता हेतु किन-किन संस्थाओं के प्रमाण पत्र मान्य किए जाना है, क्या प्राप्त निर्देशों में उल्लेखित संस्थाओं से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य किए जा सकते है अथवा केवल उल्लेखित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाना है	डिप्लोमा लेवल एक्जाम DOEACC से मान्य है, जो कि वांछित है। स्थानीय रूप से DOEACC is Affilited/Accredited संस्थाओं के डिप्लोमा अमान्य किए जाएंगे।
6.	एनआरईजीएस योजना अंतर्गत किसी भी संविदा पद का अनुभव रखने वाला अभ्यर्थी अनुभव के अंकों हेतु पात्र होगा अथवा नहीं? (उदाहरण के रूप में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्राप्त होंगे अथवा नहीं)	किसी भी संविदा पद का अनुभव रखने वाला अभ्यर्थी अनुभव के अंकों हेतु पात्र होगा।
7.	ग्राम रोजगार सहायक के संविदा पारिश्रमिक के भुगतान की प्रक्रिया।	"ग्राम रोजगार सहायक के संविदा पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जनपद पंचायत द्वारा संबंधित ग्राम रोजगार सेवक के खाते में जमा किया जावें"

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

क्र. [illegible] / योजना / एनआर-1 / एमजीएनआरईजीएस-एमपी भोपाल, दिनांक 12/ [illegible] /2010
प्रतिलिपि :-
समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./3638 /स्था./NR–2/MGNREGS-MP/2010 भोपाल, दिनांक 14.4.10

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन के संबंध में जिलों की समस्याओं के निराकरण बाबत् मार्गदर्शन।

संदर्भः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 14115/एनआर–2/2009 दि. 10.11.09

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से ग्राम रोजगार सहायक के चयन एवं नियुक्ति के संबध मे दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभिन्न जिलों में 'ग्राम रोजगार सहायक' के चयन एवं नियुक्ति के संबंध व्याप्त कठिनाईयों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन मांगा गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
1.	जिले मे योजना दिनांक 01.04.08 से लागू की गई है। जिले में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाना या नहीं।	ग्राम रोजगार सहायक की संविदा नियुक्ति हेतु विगत किन्हीं दो वित्तीय वर्ष मे ग्राम पंचायत में राशि रू. 10.00 लाख से अधिक व्यय का प्रावधान है। अतः प्रावधान अनुसार कार्यवाही करें।
2.	रोजगार सहायक की चयन प्रक्रिया में आरक्षण (रोस्टर) एवं आरक्षित वर्ग हेतु आयु सीमा मे छूट सबंधी निर्देश प्राप्त नहीं हुये है।	उक्त संबंध मे परिषद् के कार्यालयीन पत्र क्र. 2284 दिनांक 12.03.10 के द्वारा मार्ग दर्शन दिया जा चुका है। अतः उक्त पत्रानुसार कार्यवाही की जावे।

क्र.	जिलों द्वारा मार्गदर्शन के बिन्दु	परिषद् का अभिमत
3	ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति म.प्र. मा.शि.मण्डल/सेन्ट्रल बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से उत्तीर्ण हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) या समकक्ष आवेदन पर ही विचार किया जावेगा या अन्य बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड एवं ओपेन बोर्ड से उत्तीण व्यक्ति का भी आवेदन मान्य किया जावेगा।	म.प्र. शासन अथवा केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड के आवेदन मान्य किये जावेंगे। अन्य बोर्ड जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

14.4.10

(ए0के0सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

क्र./3639 /स्था./एनआर–2/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/2010 भोपाल, दिनांक 14.4.10

प्रतिलिपि :–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

14.4

संयुक्त आयुक्त (प्रशा0)
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 3988 / योजना / एनआर–1 / MGNREGS-MP / 2010   भोपाल, दिनांक 23/04/2010

प्रति,

1. **जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
2. **मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त**
   मध्यप्रदेश

विषयः MGNREGS-MP के अंतर्गत राशि रू. 7.50 लाख से अधिक एवं राशि रू. 10.00 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की जानकारी।

— — — — —

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिन के द्वारा विगत दो वर्षो मे से किसी एक वित्तीय वर्ष मे राशि रू. 10.00 लाख से अधिक व्यय किया गया है उन ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त करने के निर्देश दिये गये है।

परिषद् को आंकलन हेतु ऐसी ग्राम पंचायतें जिन के द्वारा योजना प्रारम्भ से किन्ही दो वित्तीय वर्ष मे राशि रू. 7.50 लाख से अधिक व्यय किया गया है उन ग्राम पंचायतों की जानकारी संकलित की जा रही है।

कृपया जानकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रारूप मे प्रेषित करेः–

जिला : –

क्र.	जनपद पंचायत	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	योजना प्रारम्भ से किसी भी दो वित्तीय वर्ष में राशि रू. 10.00 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	योजना प्रारम्भ से किसी भी दो वित्तीय वर्ष में राशि रू. 7.50 लाख से अधिक व्यय करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या

उक्त जानकारी प्रमुख सचिव महोदय को तीन दिवस मे प्रस्तुत की जानी है। कृपया जानकारी आज ही फैक्स अथवा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।

Ruhi

(रूही खान)
उपायुक्त
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

P.T.O.

Letter AKS 2010 New

पृ.क्र. 3989 / योजना / एनआर–1 / MGNREGS-MP / 2010 भोपाल, दिनांक 23/04/ 2010

प्रतिलिपि :–

उपायुक्त (विकास) समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रूही खान)
उपायुक्त
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल